राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1144/2013/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स खेड़ा मार्केटिंग प्रा0 लिमिटेड,
हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. आर. बोहरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/06/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 47/आरवेट/जेयूसी/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ द्वारा दिनांक 31.5.2012 को वाहन संख्या आर.जे.21/जी–6074 को चैक किये जाने पर वाहन में **'कूलर'** मुम्बई से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स केनबरा इन्टरनेशनल प्रा0 लिमिटेड मुम्बई का इन्वॉयस संख्या 66 दिनांक 29.5.2012; मैसर्स सुप्रीम रोड़लाईन्स कॉर्पोरेशन मुम्बई की जी.आर. संख्या 102621 दिनांक 29.5.2012 एवं घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 638321 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा प्रपत्र वैट–47 अवधिपार प्रस्तुत किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये

लगातार.....2

63,550/— का आरोपण आदेश दिनांक 04.06.2012 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2012 से स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचित माल 'कूलर' राज्य में कालातीत घोषणा प्रपत्र वैट—47 के समर्थन से आयात कर परिवहनित किया जाना वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतया उचित एवं विधिक था। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का कहना है कि वेट अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र वेट—47 की वैधता अवधि केवल दो वर्ष होने के कारण, वक्त चैकिंग प्रस्तुत घोषणा पत्र कालातीत हो चुका था, ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिक था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच वैट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के तहत वांछित सभी दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। घोषणा पत्र कालातीत होने की जानकारी प्रत्यर्थी को नहीं होने से उनके द्वारा सद्भाविक रूप से घोषणा पत्र प्रेषक व्यवहारी को भिजवा दिया गया था, जो कि केवलमात्र एक तकनीकी त्रुटि है, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं है। अग्रिम कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा केवल इस तकनीकी आधार पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

6. प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से पाया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त चैकिंग माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट–47 सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया कि घोषणा पत्र वैट–47 कालातीत पेश किया गया है। घोषणा–पत्र वैट–47 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त घोषणा–पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'डी', जोधपुर के कार्यालय से 24.9.2009 को दो वर्ष के लिये जारी किया गया है। वेट नियम 21(5) के अनुसार इसकी वैधता जारी किये जाने की दिनांक से दो वर्ष अर्थात् दिनांक 23.9.2011 तक थी। इसके पश्चात व्यवहारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र की वैधता अवधि नहीं बढ़वाये जाने से वक्त जांच उक्त घोषणा प्रपत्र वेट–47 लगभग 8 माह कालातीत हो चुका था, परन्तु वेट नियम 21(5) के प्रावधानों के तहत उक्त घोषणा प्रपत्र वेट–47 की वैधता अवधि जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा उक्तानुसार वैधता अवधि में बढ़ोतरी किये जाने की स्थिति में इस घोषणा प्रपत्र वेट–47 की वैधता अवधि दिनांक 23.9.2012 तक मानी जा सकती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2000) 120 एस.टी.सी. 212** में निर्णीत किया गया है कि :–

> "There is no dispute that on the expiry of date the form does not become non-est but very same form can be validated and given life for a further period by the concern officer."

7. अतः सक्षम अधिकारी का यह आधार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता कि घोषणा पत्र वैट–47 कालातीत प्रस्तुत किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में वक्त जांच उपलब्ध घोषणा पत्र वैट–47 को कालातीत होने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की जाने से अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

01.06.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य